न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1, किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - दीपेन्द्र माथुर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या-70/2018, सीआईएस सं.-87/2018,

1. बलबीर सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी घेगोली, हाल बख्तल की चौकी, थाना उघोगनगर, अलवर, राजस्थान

...............अपीलार्थी/अभियुक्त

ब ना म

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, किशनगढबास।

..............प्रत्यर्थी

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास जिला अलवर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या-181/08, राज.राज्य बनाम बलबीर सिंह में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 14.11.2018 के विरूद्ध दाण्डिक नियमित अपील।

उपस्थित-

1. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रत्यर्थी/राज.राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज, अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से।

--निर्णय--

दिनांक 23 मार्च, 2026

1. अपीलार्थी/अभियुक्त बलबीर की ओर से जरिये अपर लोक अभियोजक दिनांक 28.11.2018 को प्रस्तुत उक्त दाण्डिक नियमित अपील का निस्तारण इस निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

2. अपीलार्थी/अभियुक्त बलबीर सिंह की ओर से जरिये अपर लोक अभियोजक यह अपील विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास जिला अलवर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या-181/08, राज.राज्य बनाम बलबीर सिंह में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 14.11.2018 से व्यथित होकर पेश की गई है। जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोप अंतर्गत धारा 457 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध कर दो वर्ष के साधारण कारावास से एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से और अर्थदण्ड की अदम अदायगी में अपीलार्थी/अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 380 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध कर एक वर्ष के साधारण कारावास से एवं 500/-रूपये के अर्थदण्ड से और अर्थदण्ड की अदम अदायगी में अपीलार्थी/अभियुक्त को पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास पृथक से भुगताये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। भुगताये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

3. संक्षेप में अपील उदभुत होने के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रवीन्द्र सिंह ने दिनांक 23.07.2008 को एक तहरीर रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) पुलिस थाना खैरथल के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की, कि आद्योगिक क्षेत्र खैरथल में पानी की टंकी के पास रीको के स्टोर कमरे में से दिनांक 21.07.2008 की रात को किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा

सामान चोरी कर लिया गया है जो सामान चोरी हुआ है, उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है- 1. सीआई टेल पीस 100 एमएम-3, 2. सीआई पीस 150 एमएम-2, 3. एनआईवी 80 एमएम-1, 4. समर्सीबल पंप सैट 7.50 एचसी-2, 5. सीआई टेल पीस 200 एमएम-1, 6. आई स्लूअट वाल्व 100 एमएम-3, 7. एयर वाल्व 50 एमएम-2............इत्यादि।

4. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना खैरथल में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 213/08, अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में दर्ज की जाकर, बाद अनुसंधान अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में आरोप-पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास जिला अलवर में पेश किया गया। जिस पर उक्त न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया तथा बहस चार्ज सुनी जाकर उक्त अपराध धाराओं में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये समझाये गये, तो उन्होंने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1 रामबाबू शर्मा, पी.ड.2 धर्मपाल, पी.ड.3 रविन्द्र सिंह चौहान, पी.ड.4 राजकुमार, पी.ड.5 रामकिशोर व पी.ड.6 विजय कुमार को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में सुसंगत दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया। अभियुक्त की परीक्षा धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत की गई। जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया। तदुपरांत उभय-पक्षों को सुनकर विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय व दण्डादेश पारित करते हुए, अपीलार्थी/अभियुक्त को उपरोक्तानुसार आरोपों में दोषसिद्ध कर दण्डित किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा पेश की गई है।

5. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से ये तर्क पेश किये गये कि जप्तशुदा सामान की पहचान गवाहों द्वारा नहीं की गई है। गवाहों के बयानों में विरोधाभाष है। अतः अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 14.11.2018 अपास्त करने का निवेदन किया।

6. दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आपत्ति करते हुये ये तर्क पेश किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। त्

7. उभय-पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं आलोच्य निर्णय दिनांकित 14.11.2018 का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि परिवादी रविन्द्र सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, अलवर के द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी7 दिनांक 23.07.2008 को पुलिस थाना खैरथल में प्रस्तुत की गई थी जिसमें ये अंकित किया गया था कि दिनांक 21.07.2008 की रात्रि को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सामान चोरी किया गया है। उक्त तहरीर रिपोर्ट में चोरी गये सामान को भी अंकित किया गया था। उक्त तहरीर रिपोर्ट पर पुलिस थाना खैरथल द्वारा मुकदमा नंबर 213/08 दर्ज कर अनुसंधान किया गया। परिवादी रविन्द्र सिंह द्वारा पी.ड.3 के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर तहरीर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि की अथवा उक्त सूचना रामबाबू पंप ट्यूबवेल के द्वारा देने का कथन किया है। परिवादी ने यह भी मुख्य परीक्षा में स्वीकार किया कि उक्त सूचना उसे दिनांक 21.07.2008 को मिल गई थी। जिस पर अगले दिन अर्थात 22.07.2008 को सबुह 11 बजे वह मौके पर पहुंचा तथा अगले दिन अर्थात

23.07.2008 को उक्त तहरीर रिपोर्ट पेश की थी। प्रतिपरीक्षा में परिवादी ने यह स्वीकार किया कि चोरी करते हुये उसने किसी को नहीं देखा और सूरजभान के कहने के आधार पर उक्त रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि चोरी गये सामान को वह पहचान सकता है।

8. प्रकरण के दूसरे महत्वूपर्ण गवाह पी.ड.1 रामबाबू ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 21.07.2008 को जब वह इण्डेन गैस के पीछे ट्यूबवेल थी, जहां पर रीको कंपनी का वाटर सप्लाई का ऑफिस था, उस पर पंप चलाने की ड्यूटी पर रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कार्यगत होने का कथन किया है। सुबह 04.15 बजे स्टोर की तरफ आने पर उसके साथी सूरजभान द्वारा स्टोर का ताला टूटा हुआ होने की सूचना उच्चाधिकारियों को देना तथा चोरी गये सामान की लिस्ट आदि बनाने का कथन किया है। गवाह ने मुख्य परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि उक्त चोरी गया माल बलबीर नाम के व्यक्ति से बरामद हुआ था और सूरजभान माल की बरामदगी के समय उपस्थित था। उक्त माल मुलजिम की निशानदेही से बरामद किया था। गवाह के द्वारा बरामदगी प्रदर्श पी2, नक्शा मौका प्रदर्श पी3 व फर्द जप्ती व बरामदगी प्रदर्श पी4 पर स्वयं के व सूरजभान के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में भी गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे उसके मुख्य परीक्षा में कहे हुये कथनों का खण्डन होता हो।

9. इसी प्रकार गवाह पी.ड.2 धर्मपाल जो कि वक्त घटना मालखाना इंचार्ज होते हुये जमा करने का कथन किया है।

10. गवाह पी.ड.4 राजकुमार के द्वारा दिनांक 26.07.2008 को मुलजिम बलबीर सिंह को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी19 गिरफ्तार करने व मुलजिम के कब्जे से एक पिकअप गाडी नंबर आरजे 01 जी 7253 जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी20 जप्त करने का कथन किया है। उक्त पिकअप गाडी से समर्सीबल पिकअप बरामद होने का कथन किया है।

11. गवाह पी.ड.5 रामकिशोर द्वारा दिनांक 26.07.2008 को विजय कुमार एएसआई द्वारा जो कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी थे, मुलजिम को जरिये फर्द प्रदर्श पी19 गिरफ्तार करने तथा पिकअप गाडी नंबर आरजे 01 जी 7253 को जप्त करने का कथन किया है। उक्त गाडी मुलजिम बलबीर के कब्जे से जप्त होना बताया गया है।

12. गवाह पी.ड.6 विजय कुमार प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हैं, जिनके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान करने व दौराने अनुसंधान बनाई गई फर्दात को स्वयं के द्वारा बनाया जाना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षा में भी उक्त गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे मुख्य परीक्षा में कहे गये कथनों को खण्डन होता हो।

13. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने से दिनांक 23.07.2008 को परिवादी द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा उसी दिनांक को गवाह रामबाबू व सूरजभान के सामने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया है। दिनांक 26.07.2008 को मुलजिम बलबीर की गिरफ्तारी प्रदर्श पी19 के द्वारा तथा जप्ती पिकअप वेन प्रदर्श पी20 द्वारा बनाई गई है तथा उक्त पिकअप से पंप सेट बरामद हुआ है, जिसकी पहचान परिवादी द्वारा की गई है। उक्त जप्तियों की गवाह रामकिशोर व राजकुमार के द्वारा ताईद की गई है। मुलजिम से प्राप्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी24 के

अनुसार चोरी गया सामान प्रदर्श पी2 के जरिये दिनांक 28.07.2008 को जप्त हुआ है। जिसकी पुष्टि जप्ती के गवाह पी.ड.1 रामबाबू के द्वारा की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती के दूसरे गवाह सूरजभान की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार मुलजिम से प्राप्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी23 के आधार पर चोरी गया सामान पी.ड.1 रामबाबू की निशानदेही से प्रदर्श पी4 फर्द जप्ती द्वारा मुलजिम की निशानदेही से जप्त किया गया है, जिसकी पहचान परिवादी द्वारा की गई है। अतः अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों में किसी प्रकार का बल होना प्रतीत नहीं होता है।

14. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा मुलजिम के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया है। जिससे विद्वाना अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.11.2018 की दोषसिद्धि को पुष्ट किया जाता है।

दण्ड के बिंदू पर सुना गया-

15. दण्ड के बिंदू पर उभयपक्षकारान को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ये तर्क पेश किया कि अभियुक्त प्रकरण में विगत 18 वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है।

16. योग्य अपीलार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क है कि घटना वर्ष 2008 की है और इस प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त लगभग 19 दिन न्यायिक व पुलिस अभिरक्षा में रह चुका है। गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है, संपूर्ण परिवार का जिम्मा उसी पर है इसलिए उसको न्यायिक अभिरक्षा के दौरान व्यतीत की गई अवधि से दण्डित किया जाना ही उचित होगा।

17. योग्य अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया गया।

18. उपरोक्त तर्कों के उपरांत पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटना वर्ष 2008 की है। अपीलार्थी की पूर्व दोषसिद्धि का कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। अपीलार्थी प्रकरण में लगभग 19 दिन न्यायिक व पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत कर चुका है। अपीलार्थी पिछले 18 वर्षों से निरंतर अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त ने जाहिर किया है कि वह मजदूर पेशा व्यक्ति है और संपूर्ण परिवार के भरण-पोषण का भार उस पर है इसलिए अभियुक्त को इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि व जुर्माने से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-- आदेश --

19. परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त बलबीर द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 457, 380 भा.दं.सं. के अपराधों के आरोपों में विद्वान विचारण न्यायालय की गई दोषसिद्धि के निर्णय की पुष्टि की जाती है व विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश निरस्त किया जाकर इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 457, 380 भा.दं.सं. के अपराधों में प्रकरण में पूर्व में बताई गई न्यायिक अभिरक्षा अवधि के कारावास और धारा 457 भा.दं.सं. के अपराध में 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड, अदम अदायगी एक माह

का साधारण कारावास व धारा 380 भा.दं.सं. के अपराध में 5 हजार रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी एक माह के साधारण कारावास के दण्डित किया जाता है।

20. अभियुक्त एक माह के भीतर अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करायेगा अन्यथा विचारण न्यायालय का दण्डादेश यथावत रहेगा। अपीलार्थी द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व में जमा कराये गये अर्थदण्ड की राशि उक्त राशि में समायोजन योग्य होगी।

21. संशोधित सजा वारण्ट जारी किया जावे। पत्रावली का निस्तारण इसी अनुसार किया जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली शीघ्र भेजी जाये।

(दीपेन्द्र माथुर)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1,
किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा, राज.

22. निर्णय आज दिनांक 23 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपेन्द्र माथुर)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1,
किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा, राज.